



कार्यालय:- वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा।

वन भवन, चतरा- 825401 (झारखण्ड)

E-mail:- dfo-chatrasouth@gov.in Phone - 8987790213



सेवा में,

पत्रांक:- 2353

दिनांक:- 30.11.2024

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, चतरा।

विषय:-

टण्डवा प्रखण्ड अन्तर्गत सी0सी0एल0 द्वारा पिपरवार परियोजना हेतु 43.30 हे० वनभूमि अपयोजन नवीकरण प्रस्ताव समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग:-

आपका पत्रांक 477 दिनांक 26.09.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सूचित करना है कि प्रसंगाधीन पत्र के माध्यम से विषयगत परियोजना पर 24 बिन्दुओं पर पृच्छा की गई थी, जिसका निराकरण कर बिन्दुवार निराकरण प्रतिवेदन अग्रेतर कार्यवाई हेतु समर्पित की जा रही है-

क्र. सं.	त्रुटियाँ	निराकरण
1	प्रस्ताव में संलग्न कैडस्ट्रल मैप पर दिखाये गये Project Lease Boundary के अनुसार वनभूमि/गैरमंजरूआ जंगल-झाड़ी/गैर वनभूमि इत्यादि संलग्न भूमिगत माईनिंग करने हेतु दर्शाया हुआ है परन्तु Geo- reference map in shape file में मात्र चार पैच वनभूमि का ही दर्शाया हुआ है। दोनों विरोधाभासी है, इसे स्पष्ट करें। साथ ही Lease Boundary मौजा विजैन के तरफ से होकर गुजरती हुई भी दिखाई गई है जबकि इस परियोजना में मात्र 03 ही गाँव प्रभावित हो रहे हैं। इस प्रकार दिखाये गये Lease Boundary किस आधार पर विजैन गाँव के तरफ से गुजरते हुए दिखाया गया है, इसे भी स्पष्ट करें।	- प्रस्ताव में संलग्न कैडस्ट्रल मैप पर दिखाये गये Project Lease Boundary में जो वनभूमि/गैरमंजरूआ जंगल-झाड़ी/गैर वनभूमि इत्यादि दर्शाया गया है वो पिपरवार भूमिगत परियोजना फेज-1 (464.69 ha) हेतु दर्शाया गया है जो यह एक अलग भूमिगत परियोजना है। - Geo- reference map in shape file में जो चार पैच वनभूमि दर्शाया गया है वह 43.30 हे० नवीकरण प्रस्ताव हेतु दिखया गया है। - Lease Boundary जो मौजा विजैन के तरफ से गुजर रही है वो पिपरवार भूमिगत परियोजना फेज-1 (464.69 ha) का है। - वर्तमान प्रस्ताव पूर्व में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त अंतिम स्वीकृति के नवीकरण के लिए है। अतः परियोजना से संबंधित भूमि के संबंधित सभी पूर्व की तरह ही मानी जाएगी।
2	ऑनलाईन पार्ट-2 की कंडिका 14 में क्षतिपूरक वनरोपण हेतु भरी गई कॉलमों में गैर वनभूमि के संबंध में 0 अंकित है जबकि इसी परियोजना के विरुद्ध 53.79 हे० गैर वनभूमि विभाग को उपलब्ध करायी गयी है, तो उस स्थान पर शून्य किस आधार पर अंकित किया गया है, स्पष्ट किया जाय। साथ ही कुल क्षतिपूरक वनरोपण कार्य हेतु रकबा- 1930.70 हे० प्राप्त हुआ है जिसमें 1761.65 हे० में कार्य हुआ है तो शेष 169.65 हे० रकबा में क्षतिपूरक वनरोपण कार्य अबतक क्यों नहीं हुआ है, इसे भी स्पष्ट किया जाय।	ऑनलाईन पार्ट-2 की कंडिका 14 में Progress of Compensatory Afforestation as on date में गैर वनभूमि में अभी तक वृक्षारोपण नहीं हो पाने के कारण 0 अंकित है। संबंधित परियोजना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दिनांक- 31.01.1994 को कुल 433000.00 राशि गैर वनभूमि पर क्षतिपूरक वनरोपण हेतु उपलब्ध कराई गई थी, जिसपर अतिक्रमण होने के कारण अभी तक वृक्षारोपण कार्य नहीं किया जा सका है। शेष वनभूमि इस परियोजना से संबंधित नहीं है।
3	पार्ट-1 की कंडिका A-2 (xiii) में Proposal submitted in past में नई प्रस्ताव के संबंध में सूचना अंकित किया हुआ है जबकि इसमें वैसे प्रस्ताव की सूचना अंकित करना है जिसमें भारत सरकार से Stage-I या Stage-II प्राप्त है जैसे कि- 13.11 हे०, 28.22 हे०, 101.87 हे०, 166.91 हे० तथा 92.26 हे० प्रस्तावों के संबंध में सूचना अंकित करना अनिवार्य है।	पार्ट-1 की कंडिका A-2(xiii) में Proposal Submitted in past में पूर्व में अनुमोदित Stage-I/Stage-II का विवरणी अंकित कर दिया गया है।

Sl. No.	Details of diverted Forest Land	Stage-II granted by MoEF vide FC no.
Forest land diverted for Piparwar Project		
1	13.11 ha.	8-172/89-FC dt. 02.12.1992
2	43.30 ha.	8-172/89-FC dt. 03.01.1995

		<table><tr><td>3</td><td>28.22 ha.</td><td>8-48/98-FC dt. 21 September 2001</td></tr><tr><td>4</td><td>101.87 ha.</td><td>8-54/2003-FC dt. January 2004</td></tr><tr><td colspan="3">Forest land diverted for Ashok Project</td></tr><tr><td>1</td><td>166.91 ha.</td><td>8-178/97-FC dt. 9th November 1999</td></tr><tr><td>2</td><td>92.26 ha.</td><td>8-07/2013-FC dt. 7th February 2014</td></tr></table> प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सूचित किया गया है कि ऑनलाईन पार्ट I में पूर्व में प्रदत्त स्वीकृति की विवरणी तकनीकी कारणों से नहीं भरी जा सकी है। अतः मैनुअल फार्म में विवरणी भर दी गई है।	3	28.22 ha.	8-48/98-FC dt. 21 September 2001	4	101.87 ha.	8-54/2003-FC dt. January 2004	Forest land diverted for Ashok Project			1	166.91 ha.	8-178/97-FC dt. 9th November 1999	2	92.26 ha.	8-07/2013-FC dt. 7th February 2014	
3	28.22 ha.	8-48/98-FC dt. 21 September 2001																
4	101.87 ha.	8-54/2003-FC dt. January 2004																
Forest land diverted for Ashok Project																		
1	166.91 ha.	8-178/97-FC dt. 9th November 1999																
2	92.26 ha.	8-07/2013-FC dt. 7th February 2014																
4	पार्ट-1 की कंडिका A-4 Details of approvals under the forest (conservation) Act में भरी गई कॉलमों में अंकित किये गये डाटा सही नहीं है, क्योंकि वर्ष 2010 में इस परियोजना को भारत सरकार से स्वीकृति कब मिला है, इसे स्पष्ट करें।	पार्ट-1 की कंडिका A - 4 में सुधार कर दिया गया है।																
5	पार्ट-1 की कंडिका A-5 status on compliance to conditions stipulated in the previous approvals में conditions no-2 का पूर्ण compliance अभी तक नहीं हुआ है। इस परियोजना के विरुद्ध आपके स्तर से 53.79 हे० गैर वनभूमि उपलब्ध कराने की सूचना अभिलेख में है परन्तु उक्त भूमि का अबतक अधिसूचना नहीं कराया गया है, क्योंकि स्थल पर रिक्त एवं अतिक्रमण से मुक्त जमीन उपलब्ध नहीं है। उक्त स्थल पर अतिक्रमण कर लोगों द्वारा मकान, जोत-कोड़ कर भरण-पोषण किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में इसके स्थान पर अलग से 53.79 हे० गैर वनभूमि विभाग को उपलब्ध कराया जाय ताकि उसका अधिसूचना कराकर भारत सरकार के प्रतिवेदित किया जा सके तभी इस शर्त का अनुपालन होगा जिसकी सूचना भारत सरकार को भेजी जायेगी।	परियोजना के विरुद्ध 53.79 हे० गैर वनभूमि वन विभाग को उपलब्ध कराया गया था जिसका विवरणी निम्नवत हैं <table><tr><th>क्र० सं०</th><th>मौजा का नाम</th><th>रकबा (है० मी)</th><th>रकबा (है० मी)</th></tr><tr><td>1</td><td>कल्याणपुर</td><td>78.47</td><td>31.77</td></tr><tr><td>2</td><td>माडर</td><td>54.47</td><td>22.02</td></tr><tr><td colspan="2">कुल</td><td>132.94</td><td>53.79</td></tr></table> क्षतिपूरक वनरोपण हेतु उपलब्ध कराई गई गैर वनभूमि 53.79 हे० का विवरण (Annexure-1) संलग्न है। साथ ही प्रयोक्ता अभिकरण से संपर्क स्थापित कर भूमि के Mutation एवं Transfer संबंधी दस्तावेज उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया था। परन्तु अभी तक उनके द्वारा किसी भी प्रकार का Sale deed/ Compensation/ mutation/ transfer दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया जा सका है। ऐसी परिस्थिति में उक्त वनभूमि पर भविष्य में वनरोपण कर पाना संभव नहीं होगा। अतः प्रयोक्ता अभिकरण से उक्त शर्त के विरुद्ध दोगुनी अवकृष्ट वनभूमि पर क्षतिपूरक वनरोपण हेतु वचनबद्धता पत्र प्राप्त कर अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में सरकार से अनुरोध किया जा सकता है।	क्र० सं०	मौजा का नाम	रकबा (है० मी)	रकबा (है० मी)	1	कल्याणपुर	78.47	31.77	2	माडर	54.47	22.02	कुल		132.94	53.79
क्र० सं०	मौजा का नाम	रकबा (है० मी)	रकबा (है० मी)															
1	कल्याणपुर	78.47	31.77															
2	माडर	54.47	22.02															
कुल		132.94	53.79															
6	पार्ट-1 की कंडिका B-2.4 में component wise break-up में infrastructure (Road etc.) में 1.30 हे० वनभूमि, नाला, 0.31 हे० Green Belt में 1.96 हे० वनभूमि तथा भूमिगत कोयला हेतु 39.64 हे० वनभूमि दर्शाया हुआ है। जब भूमिगत कोयला निकालना है तो उसमें सड़क/infrastructures आदि में वनभूमि लेने का क्या औचित्य है, स्पष्ट करें।	यह प्रस्ताव Renewal प्रस्ताव है जिसमें 43.30 हे० अपयोजित होने वाले वनभूमि के लिए Change in Land-use Piparwar UG Phase-I के लिए आवेदन सम्पादन किया जाना है।																
7	पार्ट-1 की कंडिका C में no. of patches - five दर्शाया हुआ है जबकि four patches में ही 43.30 हे० रकबा पूर्ण होता है तो पॉचवॉ KML File Upload करने एवं दर्शाने का क्या औचित्य है, स्पष्ट करें।	पार्ट-I की कंडिका C में Upload KML में सुधार कर संशोधित KML Upload कर दिया गया है।																
8	पार्ट-1 की कंडिका M-2 के (v) में Nature of Mining में Opencast अंकित है जबकि उक्त परियोजना underground mining के लिए प्रस्तावित किया हुआ है। इसमें सुधार की आवश्यकता है।	यह प्रस्ताव Renewal प्रस्ताव है जिसे Piparwar UG Phase-I underground के लिए Change in land-use समर्पित किया जाना है।																
9	पार्ट-1 की कंडिका H में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में अंकित पत्र संख्या एवं तिथि वर्ष 2014 का दर्शाया गया है परन्तु प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा निर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र वर्ष 2020 का लगा हुआ है, दोनों विरोधाभासी है।	प्रस्ताव में सुधार कर दिया गया है।																
10	प्रस्ताव के साथ underground mining के संबंध में surface strain predicted by 3-D subsidence predication modal का सक्षम स्तर से स्वीकृत Report संलग्न नहीं है।	प्रस्ताव के साथ underground mining के संबंध में surface strain predicted by 3-D subsidence predication modal का सक्षम स्तर से स्वीकृत Report संलग्न कर दिया गया है। (अनु०-2)																

11	प्रस्ताव में संलग्न Land use plan में underground mining हेतु कितने Tunnel (सुरंग) होंगे दर्शाया हुआ नहीं है।	प्रस्ताव में संलग्न Land use plan में underground mining हेतु 3 Tunnel (सुरंग) होंगे जिसे दर्शा दिया गया है।
12	Authenticated Land Schedule प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है।	Authenticated Land Schedule प्रस्ताव के साथ संलग्न कर दिया गया है।
13	प्रस्ताव के साथ Reclamation Plan संलग्न नहीं है।	प्रस्ताव के साथ Reclamation Plan संलग्न कर दिया गया है। (अनु0-3)
14	प्रस्ताव में संलग्न Deforestations Plan के क्रम सं0 2 में Area (Forest Release)= 14.30 हे0 दर्शाया गया है यह कौन-सी परियोजना है, जबकि इसे 43.30 हे0 होना चाहिए।	प्रस्ताव में संलग्न Deforestations Plan के क्रम सं0 2 में सुधार कर दिया गया है।
15	ऑनलाइन पार्ट-2 की हस्ताक्षरित प्रति ऑनलाइन पार्ट-2 के Additional information में अपलोड करना अनिवार्य है जो नहीं है। इसे अपलोड किया जाय।	ऑनलाइन पार्ट-2 की हस्ताक्षरित प्रति ऑनलाइन पार्ट-2 के Additional information में अपलोड कर दिया गया है।
16	ऑनलाइन पार्ट-1 की कंडिका D में uploaded justification में प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम, पदनाम, हस्ताक्षर एवं तिथियुक्त मुहर अंकित नहीं है।	ऑनलाइन पार्ट-1 की कंडिका D में uploaded justification में प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम, पदनाम, हस्ताक्षर एवं तिथियुक्त मुहर अंकित कर दिया गया है।
17	ऑनलाइन पार्ट-1 की कंडिका C (iii) में uploaded Topo Map में प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम, पदनाम, हस्ताक्षर एवं तिथियुक्त मुहर अंकित नहीं है।	ऑनलाइन पार्ट-1 की कंडिका C (iii) में uploaded Topo Map में प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम, पदनाम, हस्ताक्षर एवं तिथियुक्त मुहर अंकित कर दिया गया है।
18	ऑनलाइन पार्ट-1 की कंडिका C (iv) में uploaded Geo-reference map में प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम, पदनाम, हस्ताक्षर एवं तिथियुक्त मुहर अंकित नहीं है।	ऑनलाइन पार्ट-1 की कंडिका C (iv) में uploaded Geo-reference map में प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम, पदनाम, हस्ताक्षर एवं तिथियुक्त मुहर अंकित कर दिया गया है।
19	ऑनलाइन पार्ट-1 की कंडिका H (c) में uploaded Environment Clearance Report में प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम, पदनाम, हस्ताक्षर एवं तिथियुक्त मुहर अंकित नहीं है।	ऑनलाइन पार्ट-1 की कंडिका H (c) में uploaded Environment Clearance Report में प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम, पदनाम, हस्ताक्षर एवं तिथियुक्त मुहर अंकित कर दिया गया है।
20	ऑनलाइन पार्ट-1 की कंडिका M 1.1 में uploaded Document में प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम, पदनाम, हस्ताक्षर एवं तिथियुक्त मुहर अंकित नहीं है।	ऑनलाइन पार्ट-1 की कंडिका M 1.1 में uploaded Document में प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम, पदनाम, हस्ताक्षर एवं तिथियुक्त मुहर अंकित कर दिया गया है।
21	ऑनलाइन पार्ट-1 की कंडिका M 2 (iii) में Approval of Mining Plan की हस्ताक्षरित प्रति अपलोड करना है जो uploaded नहीं है।	ऑनलाइन पार्ट-1 की कंडिका M 2 (iii) में Approval of Mining Plan की हस्ताक्षरित प्रति अपलोड करना है जो uploaded कर दिया गया है।
22	ऑनलाइन पार्ट-1 की कंडिका M 2 (iv) में uploaded Approved Mining Plan में प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम, पदनाम, हस्ताक्षर एवं तिथियुक्त मुहर अंकित नहीं है।	ऑनलाइन पार्ट-1 की कंडिका M 2 (iv) में uploaded Approved Mining Plan में प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम, पदनाम, हस्ताक्षर एवं तिथियुक्त मुहर अंकित कर दिया गया है।
23	ऑनलाइन पार्ट-1 की कंडिका M 2 (vi) में uploaded DGPs or Total Station में प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम, पदनाम, हस्ताक्षर एवं तिथियुक्त मुहर अंकित नहीं है।	ऑनलाइन पार्ट-1 की कंडिका M 2 (vi) में uploaded DGPs or Total Station में प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम, पदनाम, हस्ताक्षर एवं तिथियुक्त मुहर अंकित कर दिया गया है।
24	प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 830 दिनांक 19.07.2021 द्वारा प्राप्त दिशा निर्देश के अनुसार विषयक परियोजना के लिए एन0पी0भी0/क्षतिपूरक वनरोपण मद हेतु राशि जमा करने संबंधित बचनबद्धता प्रमाण पत्र एवं मैनुअल पार्ट -1 को वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा सत्यापित प्रति पार्ट -1 की Additional information details में अपलोड करना अनिवार्य है जो नहीं किया गया है।	विषयक परियोजना के लिए एन0पी0भी0/क्षतिपूरक वनरोपण मद हेतु राशि जमा करने संबंधित बचनबद्धता प्रमाण पत्र एवं मैनुअल पार्ट -1 को वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा सत्यापित प्रति पार्ट -1 की Additional information details में अपलोड कर दिया गया है।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

अनु0-यथोक्त।

अपका विश्वासी,

[Signature] 30/11/24

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल, चतरा।